तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो बहुक्म हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/25	पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा APP उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रकरण में प्रार्थी जगदीश प्रसाद गुर्जर का लोडिंग वाहन पुलिस थाना हिण्डोली द्वारा दिनांक 07-08-2025 को जप्त किया हुआ है। प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी, हिण्डोली द्वारा अन्तर्गत धारा 6-A आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही पृथक से पेश होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में वाहन के संबंध में पुलिस थाना द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गई है तथा अब पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। दौराने मुकदमा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जावेगा, प्रार्थी वाहन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। अतः उक्त वाहन जमानत पर मालिक की सुपुर्दगी में दिया जावें। AAP की बहस रही कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है तथा उक्त वाहन को वाहन मालिक के सुपुर्द कर दिये जाने में थानाधिकारी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में जप्तशुदा वाहन उसके मालिक को जमानत पर सुपुर्दगी में दिया जाना उचित है। न्यायालय ने पत्रावली, पुलिस केस डायरी का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण	

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में अनुसंधान पूर्ण हो जाने से शर्तों के अधीन जमानत पर वाहन उसके मालिक की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा जप्तशुदा वाहन टाटा एस टेम्पो रजि० नं. RJ 20 GC 3350, चेसिस नं. MAT 559034 PZK 29227, इंजन नं. 275 MPF 103 KWXSE 3294 को वाहन मालिक जगदीश प्रसाद गोचर पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी म.नं. 407 जागों का मोहल्ला, कंसुवा कोटा को निम्न शर्तों के अधीन 5,00,000/- अक्षरे पाँच लाख रुपये के जमानतनामा तथा इसी कदर राशि के सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। शर्तें इस प्रकार है कि - 1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा। 2. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नहीं करेगा। 3. जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश किये जाने जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा में दिनांक 23/9/25 को पेश हो। बूंदी	